31 मार्च तक संपत्तिकर जमा कर 18 प्रतिशत के अधिभार से बचें

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के भवन एवं भूमि स्वामी वित्तीय वर्ष 2025–26 का संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जलकर, भू–भाटक एवं दुकान किराया का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले कर लेवे। 31 मार्च 2026 के बाद संपत्तिकर का भुगतान करने पर 18 प्रतिशत का अधिभार एवं 1000.00 रूपये शास्ति शुल्क लगेगा। भवन एवं भूमि स्वामी समय से पहले अपने बकाया करों का भुगतान जमा कर, लगने वाले अतिरिक्त अधिभार से बच सकते है। जिन करदाताओं द्वारा अपना पुराना संपत्तिकर अब तक जमा नहीं किया गया है, वे भी अपना संपत्तिकर 31 मार्च 2026 से पहले जमा कर लगने वाले अधिभार से बचे। संपत्तिकर दाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी जोन कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय में संपत्तिकर के काउन्टर समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेगें। करदाता अपने करो का भुगतान अवकाश के दिन भी जमा कर सकते है। आनलाईन भुगतान हेतु www-chhattishgarhmunicipal-com पर भी घर बैठे संपत्तिकर, जलकर, युजर चार्ज का भुगतान कर सकते है। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाईन नंबर 9153986401 संपर्क कर सकते है।